न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1389 /विधि सहरसा, दिनांक 15-5-2023

प्रतिलिपि :- (1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-65/2021 में दिनांक-08.05.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-01/2021 से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-कुल 06 पृ0 तथा अन्य कागजात-103 पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती जानकी कुमारी उर्फ जानकी देवी, पति-सुखसेन राम / श्रीमती मुन्नी कुमारी, पति-संजय यादव, दोनों सा0-पिलुआहा, वार्ड नं0-02, थाना-जदिया, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

पुनरीक्षणकर्त्ता श्रीमती जानकी कुमारी उर्फ जानकी देवी के द्वारा वाद-पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत-पिलवाहा, वार्ड नं0-02, में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-341 के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन वर्ष 2019 ई0 में प्रकाशित किया गया। उनके अनुसार उक्त केन्द्र का वर्ग वाहुल्य अनुसूचित जाति था, जिसके आधार पर उन्होंने सेविका का पद हेतु अपना आवेदन दाखिल किया। उनका कहना है कि उक्त केन्द्र के अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के बावजूद उसे पिछड़ा वर्ग हेतु घोषित कर दिया गया। उनके ससुर के द्वारा लोक शिकायत निवारण, त्रिवेणीगंज एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई। किन्तु चयन प्रक्रिया नहीं राके जाने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-21763/2019 दाखिल किया गया। उक्त वाद में दिनांक 08.01.2020 को आदेश पारित करते हुए उन्हें वर्ष 2019 की मार्गदर्शिका के अनुसार सक्षम प्राधिकार के समक्ष परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया गया। तदनुसार उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2020

सूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला..., सं0..., सन् १९.......................................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-65/2021

जानकी कुमारी उर्फ जानकी देवी..................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य.............................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जानकी कुमारी उर्फ जानकी देवी, पति-सुखसेन राम, सा0+पो0+पंचायत-पिलवाहा, वार्ड नं0-02, थाना-जदिया, जिला-सुपौल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उनके द्वारा दायर C.W.J.C No.-21763/2019 में दिनांक 08.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-01/2021 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा दिनांक 20.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

पुनरीक्षणकर्त्ता श्रीमती जानकी कुमारी उर्फ जानकी देवी के द्वारा वाद-पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत-पिलवाहा, वार्ड नं0-02, में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-341 के सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन वर्ष 2019 ई0 में प्रकाशित किया गया। उनके अनुसार उक्त केन्द्र का वर्ग वाहुल्य अनुसूचित जाति था, जिसके आधार पर उन्होंने सेविका का पद हेतु अपना आवेदन दाखिल किया। उनका कहना है कि उक्त केन्द्र के अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के बावजूद उसे पिछ्ड़ा वर्ग हेतु घोषित कर दिया गया। उनके ससुर के द्वारा लोक शिकायत निवारण, त्रिवेणीगंज एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई। किन्तु चयन प्रक्रिया नहीं राके जाने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-21763/2019 दाखिल किया गया। उक्त वाद में दिनांक 08.01.2020 को आदेश पारित करते हुए उन्हें वर्ष 2019 की मार्गदर्शिका के अनुसार सक्षम प्राधिकार के समक्ष परिवाद दाखिल करने का आदेश दिया गया। तदनुसार उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-01/2020

दाखिल किया गया, जिसमें जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशित होने के कारण आदेश पारित नहीं किया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के न्यायालय में आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-01/2021 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 20.03.2021 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज को निदेश दिया गया कि अपने दो पत्रों से दो अलग-अलग बाहुल्य वर्ग प्रतिवेदित किये जाने का स्वयं मिलान करें तथा अगर सर्वे/मैपिंग पंजी गलत पाया जाता है तो मैपिंग पंजी का निर्माण करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करें। पुनरीक्षणकर्त्ता का कहना है कि (ICDS), निदेशालय की मार्गदर्शिका 2019 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा सुस्पष्ट एवं मुखर आदेश पारित किया जाएगा किन्तु उक्त वाद में न तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के द्वारा और न ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा ही कोई मुखर आदेश पारित किया गया। तदालोक में विपक्षी सं0-03 मुन्नी कुमार के चयन को रद्द करते हुए आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या-341 पर उनका चयन करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-03 मुन्नी कुमारी का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश मात्र जानकी कुमारी/देवी के पक्ष को सुनकर पारित किया गया है क्योंकि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। वहाँ भी वादी के द्वारा न तो विज्ञापन आदेश को चुनौती दी गई और न ही विषयांकित केन्द्र की कोटि को चुनौती दी गई। उनका कहना है कि अपील तथा पुनरीक्षण के स्तर पर आरक्षण के बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा मैपिंग पंजी के संबंध में पुनर्विचार करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज को निदेश दिया गया। जहाँ जानकी कुमारी को वर्ग बाहुल्य से बाहर पाये जाने के कारण उनका चयन नहीं किया गया। उनका कहना है कि किसी भी स्तर पर वादी के द्वारा उनके चयन को चुनौती नहीं दी गई है। तदालोक में विपक्षी सं0-03 के द्वारा उनके चयन से संबंधित निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आदेश को सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में वर्ग बाहुल्यता पिछड़ा वर्ग अंकित किया गया, जबकि कार्यालय द्वारा किये गये सर्वे में वास्तव में संबंधित वार्ड/पोषक क्षेत्र अनुसुचित जाति बाहुल्य पाया गया। विज्ञापन में

आरक्षण कोटि गलत अंकित रहने के कारण पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो गई। अतः ग्राम पंचायत-पिलुआहा, वार्ड नं0-02 स्थित बाल विकास परियोजना, त्रिवेणीगंज के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-341 पर आँगनबाड़ी सेविका का चयन को नियम विरूद्ध पाते हुए रद्द किया जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को आदेश दिया जाता है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु नये सिरे से "आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019" के सुसंगत प्रावधान के आलोक में बाहुल्य वर्ग का निर्धारण कर विधिवत् चयन करना सुनिश्चित करेंगे। इस निदेश के साथ वाद को निष्पादित किया जाता है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।